Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– रामसुख गुर्जर,आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 54 / 2017 (2017 / 00273)

प्रार्थीगण

1. उमाराम पुत्र भंवरलाल
2. गीतादेवी पत्नि उमाराम

जाति जाट निवासी ग्राम नाका बस्ती तहसील परबतसर जिला नागौर राजस्थान।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. धनश्याम पुत्र भंवरलाल
2. सत्यनारायण पुत्र भंवरलाल
3. रमेश पुत्र भंवरलाल
4. सन्तु देवी पुत्री भंवरलाल
5. सुशीला पुत्री भंवरलाल
6. ओमप्रकाश पुत्र बालचंद
7. रामावतार पुत्र बालचंद
8. श्रवण पुत्र बालचंद
9. बसन्त कुमार पुत्र बालचंद
10. शिवकुमार पुत्र गंगाधर
11. सेठूराम पुत्र गंगाधर
12. चन्दा देवी पुत्री बालचंद
13. गायत्री देवी पुत्री बालचंद
14. सुमन पुत्री बालचंद
15. राजेश पुत्र नाथी
16. राखी पुत्री नाथी
17. वीणा पुत्री नाथी
18. रितु पुत्री नाथी
19. शिवानी पुत्री नाथी
20. हुक्मीचंद पुत्र खेमचंद
21. गोपाल पुत्र खेमचंद
22. मुलकी पत्नी खेमचंद
23. कांता पुत्री खेमचंद
24. तारा पुत्री खेमचंद
25. प्रेमा पुत्री खेमचंद
26. शोभा पुत्री खेमचंद
27. झूमरमल पुत्र श्रीकिशन
28. ळंसराज पुत्र मदनलाल
29. रामेश्वरी देवी पुत्री मदनलाल
30. बद्रीप्रसाद पुत्र धन्नालाल
31. केदार पुत्र धन्नालाल

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

32. भगवती पुत्री धन्नालाल
33. बंकटलाल पुत्र रामाकिशन
34. मांगीदेवी पुत्री रामाकिशन
35. कजोडीमल पुत्र राधाकिशन
36. गोविन्दराम पुत्र राधाकिशन
37. दीनदयाल पुत्र जेठमल
जातियान ब्राह्मण निवासीयान कसारी तहसील कुचमानसिटी
38. भूमिधारी जरिए तहसीलदार, कुचामनसिटी।

प्रार्थना पत्र बाबत खेत में आने जाने का रास्ता लेने
अन्तर्गत धारा 251(ए) उपधारा 2 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री जगदीश प्रसाद नेहरा अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।

<u>निर्णय</u>

दिनॉक :– 19/04/2018

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम कसारी के खसरा नं0 418/25 रकबा 5.03 है0 भूमि में प्रार्थीगण के आने जाने के लिए (आमद रफद के लिये) अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम कसारी के खसरा नं0 31 रकबा 1.53 है0 किस्म बारानी प्रथम भूमि में से पश्चिमी सींव के सहारे सहारे उत्तर से दक्षिण दिशा में 72 मीटर लम्बाई व पूर्व से पश्चिम दिशा में 5 मीटर चौड़ाई कुल 360 व खसरा नं0 30 रकबा 0.80 है0 किस्म बारानी प्रथम भूमि में से पश्चिमी सीव के सहारे सहारे उत्तर से दक्षिण दिशा में 212 मीटर लम्बाई व पूर्व से पश्चिम दिशा में 5 मीटर चौड़ाई कुल 1060 वर्गमीटर तथा खसरा नं0 30 में से दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे पूर्व से पश्चिम दिशा मे 28 मीटर लम्बाई व उत्तर से दक्षिण दिशा में 5 मीटर चौड़ाई 140 वर्गमीटर एवं खसरा नं0 29रकबा 1.66 है0 किस्म बारानी प्रथम में से दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे पूर्व से पश्चिम दिशा में 5 मीटर लम्बाई व उत्तर से दक्षिण दिशा में 5 मीटर चौड़ाई कुल क्षेत्रफल 25 वर्गमीटर अर्थात कुल 1585 वर्गमीटर अर्थात 0.1585 है0 भूमि का रास्ता चाहते है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की सुनवाई हेतु तलबी जारी की गई। दिनांक 06.12.2017 को वकील श्री भवानी सिंह ने अप्रार्थी सं0 30 व 33 की ओर से वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सं0 1 ता 29 व 31,32 एवं 34 ता 38 बावजूद तामिल के गैर हाजीर होने पर इकतरफा की गई। दिनांक 16.01.2018 को तहसीलदार कुचामनसिटी की रिपोर्ट प्राप्त शामिल मिसल है। अप्रार्थी सं0 30, 33 को जबाब हेतु बार बार समय देने के बावजूद जबाब पेश [illegible] को, जबाब बंद किया गया। डीएलसी रिपोर्ट उपपंजीयक कुचामनसिटी से प्राप्त की शामिल मिसल है। वकील प्रार्थी ने बहस सुनाई। पत्रावली आदेश में होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एवं संलग्न खतौनी, तहसीलदार कुचामनसिटी की मौका रिपोर्ट, जिसमें प्रार्थी के खेत खसरा नं0 418/25 में आवागमन हेतु खसरा नं0 29,30, 31 में से होकर रास्ता नजरी नक्शानुसार पेश किया है, का अवलोकन एवं वकील प्रार्थी की बहस का मनन करने पर न्यायालय का मत है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र 251 ए उपधारा 2 आरटी एक्ट के तहत पेश करने पर अप्रार्थीगण की सुनवाई हेतु नोटिस जारी शामिल मिसल है। अप्रार्थीगण की ओर से कोई जबाब पेश नहीं हुआ। तहसीलदार कुचामनसिटी ने उक्त

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

रास्ता हेतु रिपोर्ट पेश की आदि से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251 ए उपधारा 2 आरटी एक्ट काबिल स्वीकार होने से स्वीकार कर निम्नप्रकार आदेश पारित किया जाता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

आदेश

ग्राम कसारी के खसरा नम्बर 418/25 रकबा 5.03 है0 प्रार्थीगण के खेत में आवागमन (आमद रफत) हेतु खसरा नम्बर 29 रकबा 1.66 है0 में दक्षिण पश्चिम कोने में 5 मीटर लम्बाई X 5 मीटर चौडाई = 25 वर्ग मीटर एवं खसरा नम्बर 30 रकबा 0.80 है0 में पश्चिमी दक्षिणी सीमा 237 मीटर लम्बाई, 5 मीटर चौड़ाई = 1185 वर्ग मीटर, खसरा नम्बर 31 रकबा 1.53 है0 की पश्चिमी सीमा के सारे सारे 60 मीटर लम्बा व 5 मीटर चोडा = 300 वर्ग मीटर चौडा यानी खसरा नम्बर 29 रकबा 1.66 है0 में 25 वर्ग मीटर एवं खसरा नम्बर 30 रकबा 0.80 है0 में 1185 वर्ग मीटर, खसरा नम्बर 31 रकबा 1.53 है0 में से 300 वर्ग मीटर कुल खसरा नम्बर 29,30,31 कुल रकबा 3.99 है0 में 1510 वर्ग मीटर कम किया जाकर रास्ता कटाणी कायम किया जाता है। उक्त रास्ता की मुआवजा राशि 164547 रूपये प्रति हैक्टर से 1510 वर्ग मीटर की राशि 24847 रूपये बनती है, की दौगुना 49694 रूपये राशि। प्रार्थी उक्त राशि जरीये बैंक चालान/ड्राफ्ट द्वारा बैंक में जमा कराकर कार्यालय हाजा के कैशियर के पास जमा करावें। अप्रार्थीगण उक्त राशि एक माह में न्यायालय में उपस्थित होकर प्राप्त कर लेवें। राशि जमा होने पर उक्त कटाणी रास्ता राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो। मिसल नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनॉक 19/04/2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(रामसुख गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी(नागौर)